



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी राहुल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राहुल पुत्र बोडा उर्फ ब्रह्मपाल निवासी ग्राम काठा थाना कोतावाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतावाली बागपत पर मु0अ0सं0 149/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 05.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राहुल को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में विभिन्न चोरी की घटना कारित करने के आरोपी सुमित को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कारावास व 06 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुमित पुत्र मंगतराम निवासी ग्राम कम्मो माजरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा विभिन्न चोरी करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 1199/2018 धारा 380/411 भादिव, मु0अ0सं0 1202/2018 धारा 380/411 भादिव, मु0अ0सं0 1350/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये थे। इन अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 05.03.2025 को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत द्वारा अभियुक्त सुमित को हुई 03 वर्ष के कारावास व 06 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक – 06.03.2025

थाना रमाला पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 49/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदाही पर मृतक का शव बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-02.03.2025 को थाना रमाला वादिया ने लिखित तहरीर दी कि उसका पुत्र साजिद उम्र करीब 34 वर्ष का बिना बताये घर से कहीं चला गया है तथा वापस नहीं आया है । इस सम्बन्ध में



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 49/2025 धारा 140(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट- अवगत कराना है कि दिनांक 02-03-2025 को थाना रमाला पर वादिया ने सूचना दी कि उसका पुत्र साजिद बिना बताये घर से कहीं चला गया है । प्राप्त सूचना के आधार पर थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शुभम पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम अमानउल्लापुर थाना रोहटा जनपद मेरठ नाम प्रकाश में आया, जिसने पूछताछ करने पर बताया कि अभियुक्त शुभम उपरोक्त, 2-विपुल पुत्र राजवीर (शुभम का मौसा) व मृतक के भाई 3-कासिम पुत्र सद्दीक निवासीगण ग्राम रमाला जनपद बागपत द्वारा मृतक साजिद की तंमचे से गोली मारकर हत्या कर दी तथा शव को कुएं में डाल दिया। उपरोक्त अभियोग में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 140(3) बीएनएस को धारा 103(1)/238 बीएनएस में तरमीम किया गया है ।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 49/2025 धारा 140(1)/103(1)/238 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदेही पर मृतक का शव बरामद हुआ है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त शुभम ने पूछताछ करने पर बताया कि मृतक के भाई कासिम ने उसे मारने हेतु 06 लाख दिये थे जिसका वह तकादा करता था योजनानुसार मैं और मेरा मौसा विपुल ने ग्राम मंसूपुर थाना चांदीनगर में खाद्य पदार्थ में नशीला पदार्थ मिला दिया जिससे वह बेहोश हो गया तथा उसे ग्राम रमाला ले आये यहां हम तीनों 1- शिवम, 2- विपुल, 3- कासिम ने मिलकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी तथा शव को छुपाने के लिए कुएं में डाल दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शुभम पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम अमानउल्लापुर थाना रोहटा जनपद मेरठ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2- प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा सर्विलांस सैल जनपद बागपत।
- 3- उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
- 4- उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत।
- 5- म0उ0नि0 पूजा यादव थाना रमाला जनपद बागपत।
- 6- है0का0 263 मौ0 आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत।
- 7- है0का0 468 कुलदीप सर्विलांस सैल जनपद बागपत।
- 8- है0का0 153 विरेन्द्र कुमार सर्विलांस सैल जनपद बागपत।
- 9- है0का0 120 प्रदीप कुमार सर्विलांस सैल जनपद बागपत।
- 10-का0 631 रक्षित सर्विलांस सैल जनपद बागपत।
- 11-का0 08 अनुज सर्विलांस सैल जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 06.03.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आस मोहम्मद पुत्र यामीन निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार अभियुक्त आस मोहम्मद आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 74/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-मु0अ0स0 75/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-है0का0 546 विपिन सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 06.03.2025

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों कीरोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

विजय कुमार पुत्र मान सिंह निवासी बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री रंजीत सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-है०का० 664 शेर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 06.03.2025

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

राजेश पुत्र कालू निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-उ०नि० श्री अख्तर अली थाना बिनौली जनपद बागपत ।

